भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023

- हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में तकनीकी नवाचार और विज्ञान के उपयोग ने उस विश्व को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है, जिसमें हम रहते हैं। इस बारे में, एक ऐसी रूपरेखा तैयार करना आवश्यक था, जो नए प्रकार के साक्ष्यों को स्वीकार कर सके, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (इसके बाद इस अधिनियम का आई.ई.ए. के नाम से उल्लेख किया गया है) डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की बढ़ती संख्या को पर्याप्त रूप से संभाल नहीं पाया। आई.ई.ए. में अधिकांश प्रावधान ब्रिटिश काल के दौरान अपनाए गए थे और इसलिए वे अब अप्रचलित हैं। सामाजिक परिवर्तनों और न्यायिक प्रणाली के विकास के कारण साक्ष्य के लिए अधिक आधुनिक एवं लचीला दृष्टिकोण आवश्यक था। इन स्थितियों के परिणामस्वरूप भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (इसके बाद इसका बी.एस.ए. 2023 के नाम से उल्लेख किया गया है) को अधिनियमित किया गया।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (बी.एस.ए., 2023) का व्यापक उद्देश्य पिछले अधिनियम द्वारा छोड़े गए अंतरालों को भरकर और आधुनिक कानूनी प्रैक्टिस की उभरती आवश्यकताओं के साथ समायोजन करके, भारत की साक्ष्य रूपरेखा में सुधार और आधुनिकीकरण करना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अध्ययन से आपको कानूनी सूचना मिलती है और आपको विभिन्न कानूनी स्थितियों में वास्तविक विश्व के उपयोग के लिए तैयार करती है।
- आई.ई.ए., 1872 में ऐसी शब्दावली और संरचनाएँ हो सकती हैं, जिन्हें अभी समझना कठिन है। परिभाषाओं को स्पष्ट करना और कानून की पहुँच में सुधार करना नए कानून का लक्ष्य है। आधुनिकीकरण कानूनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और छोटा करने, इस पर समय कम करने और कानूनी प्रणाली की प्रभावशीलता में सुधार का प्रयास करता है।

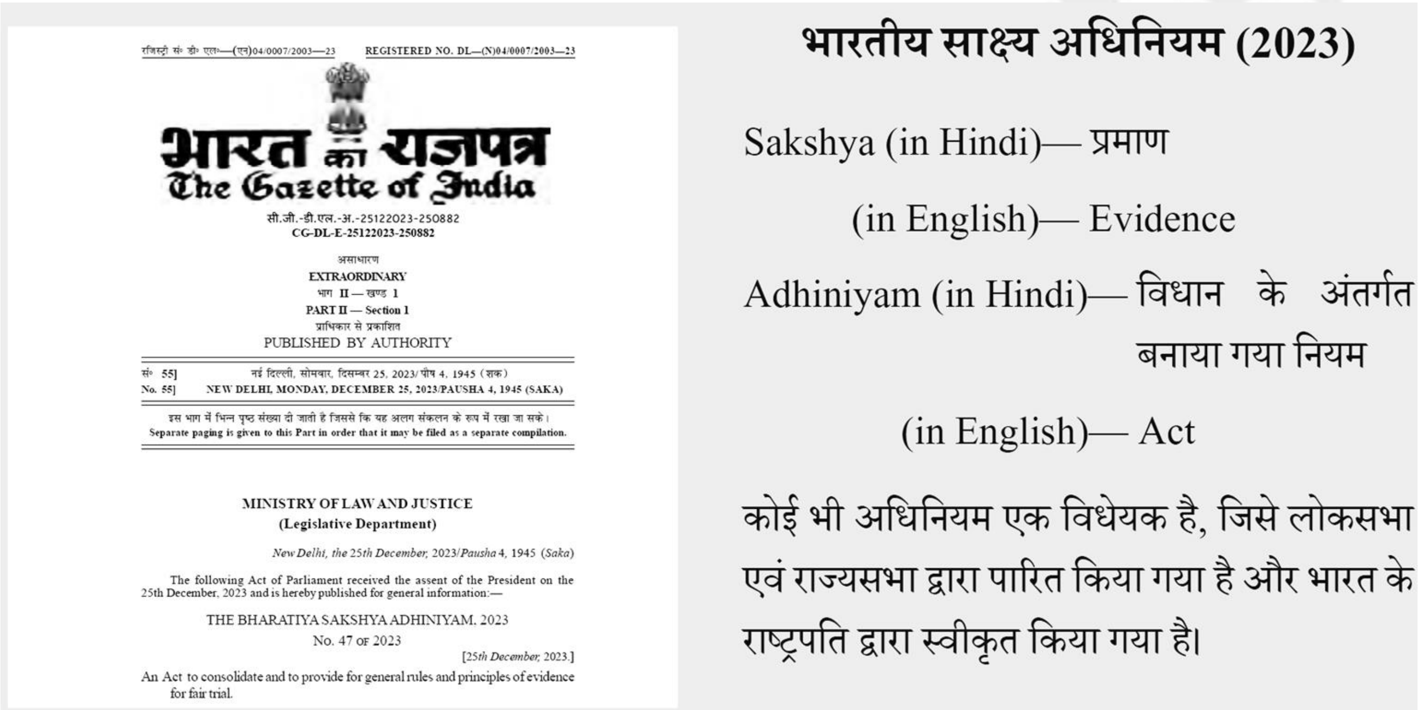
रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—23 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—23

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25122023-250882
CG-DL-E-25122023-250882

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 55] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 25, 2023/ पौष 4, 1945 (शक)
No. 55] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 25, 2023/PAUSHA 4, 1945 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 25th December, 2023/Pausha 4, 1945 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 25th December, 2023 and is hereby published for general information:—

THE BHARATIYA SAKSHYA ADHINIYAM, 2023
No. 47 OF 2023

[*25th December,* 2023.]

An Act to consolidate and to provide for general rules and principles of evidence for fair trial.

भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.)

30 जून 2024 तक के पुराने कानून	1 जुलाई 2024 से लागू नए कानून	अधिनियम के मूल उद्देश्य
भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.), 1860	भारतीय न्याय संहिता (2023)	इस अधिनियम का उद्देश्य भारत के लिए एक सामान्य दंड संहिता प्रदान करना है। यह हमें बताता है कि किस प्रकार की कार्रवाई को 'अपराध' कहा जा सकता है।
दंड प्रक्रिया संहिता (सी-आर.पी.सी.) 1973	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (2023)	यह एक प्रक्रियात्मक कानून है। सी-आर.पी.सी. का मुख्य उद्देश्य आपराधिक मामलों की निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण जाँच और सुनवाई सुनिश्चित करना है, साथ ही आरोपियों और पीड़ितों के अधिकारों का संरक्षण करना भी है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आई.ई.ए.) 1872	भारतीय साक्ष्य अधिनियम (2023)	इसका प्राथमिक उद्देश्य न्याय प्रशासन में निष्पक्षता, स्पष्टता और दक्षता सुनिश्चित करना है।

कार्यान्वयन की तिथि - 1 जुलाई 2024

- प्रतिस्थापित भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872)
- आई.ई.ए. को सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन ने प्रस्तुत किया था, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। यह अधिनियम भारतीय न्यायालयों में न्याय की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है।
- कार्यान्वयन का कारण यह ब्रिटिश शासन के दौरान अधिनियमित किया गया था। इसलिए, यह अधिनियम आधुनिक बनाया जाना था, जिसमें साक्ष्यों की साज-संभाल को प्रतिस्थापित कर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को सम्मिलित किया गया।

कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली

- **दस्तावेज -** इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड सहित लिखित या मुद्रित कागज, पत्र, आकृति या चिह्न, जो किसी संबंधित विषय की सूचना या प्रमाण प्रदान करते हैं।
- **साक्ष्य -** साक्ष्य तथ्यों या सूचनाओं का संग्रह, यह जाँचने के लिए कि यह सत्य है या असत्य।
- **प्राथमिक साक्ष्य -** मूल दस्तावेज या सामग्री, जो निरीक्षण के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।
- **द्वितीयक साक्ष्य -** यह मूल दस्तावेजों या सामग्रियों की प्रतियों या प्रतिस्थापनों को संदर्भित करते हैं, जो विशिष्ट परिस्थितियों में न्यायालय में स्वीकार्य हैं।
- **न्यायालय -** इसमें मध्यस्थों, साक्ष्य लेने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट और सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं।
- **मुद्दे में तथ्य -** इसका अर्थ है और इसमें कोई भी वह तथ्य सम्मिलित है, जिससे या तो स्वयं या अन्य तथ्यों के संबंध में, किसी भी अधिकार, दायित्व या अक्षमता की विद्यमानता, अविद्यमानता, प्रकृति या सीमा, किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में दावा या अस्वीकार किया गया हो, आवश्यक रूप से पालन करता है।
- **धमकाना -** धमकाने को एक आक्रामक शारीरिक या सामाजिक व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो जान-बूझकर और बार-बार किसी व्यक्ति या समूह द्वारा दूसरे व्यक्ति के प्रति किया जाता है, जिससे नुकसान या असुविधा होती है।
- **साइबर तरीकों से धमकाना (साइबर-बुलिंग) -** सोशल मीडिया, टेक्स्टिंग, एस.एम.एस., ऐप, गेमिंग और शिक्षण प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेलफोन, कंप्यूटर और टैबलेट जैसे डिजिटल उपकरणों के माध्यम से होने वाली बदमाशी।
- **साइबर अपराध-** साइबर अपराध एक डिजिटल डिवाइस (उपकरण) के माध्यम से किया गया अपराध है।
- **इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल रिकॉर्ड -** ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्ट फोन पर दस्तावेज, वेबसाइट, स्थान संबंधी साक्ष्य और डिजिटल डिवाइस पर संग्रहीत वॉयस मेल संदेशों पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (2023) का महत्व

- यह अधिनियम न्यायपालिका को साक्ष्य एकत्र करने और उसे दर्ज करने के लिए एकीकृत, व्यापक दिशा-निर्देश देता है, जो न्यायपूर्ण कार्यवाही में प्रशासन को सहायता करता है। यह अधिनियम न्यायालय के समक्ष साक्ष्य एकत्र करने और प्रस्तुत करने की प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है, चाहे वह प्राथमिक हो या द्वितीयक आदि। साक्ष्य कथित तथ्यों को स्पष्ट करेंगे और न्याय की त्वरित और दक्षतापूर्ण प्रदायगी में सहायता करेंगे।
- यह कानून ऐसे प्रश्नों के लिए सरल तरीके प्रदान करता है, जैसे कि साक्ष्य एकत्र करने की अनुमति किसे है, इसे कैसे दर्ज किया जाना चाहिए, इसे न्यायालय में कैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए और यह स्वीकार्य है या नहीं।
- भारत ने अतीत में अवयस्कों पर साइबर अपराधों के कई उदाहरणों का अनुभव किया है। ऐसे में, इससे पहले कि हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की मुख्य विशेषताओं और इसकी समझ से युवाओं को कैसे मदद मिलेगी, यह आवश्यक है कि इस नए आपराधिक कानून के कार्यान्वयन से पहले हुए कुछ उदाहरणों की जाँच के बारे में विस्तार से जानें।

डिजिटल हो रहा है!

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ
- तकनीकी प्रगति के युग ने साक्ष्यों के संग्रह, संरक्षण और प्रस्तुति को बेहद प्रभावित किया है। इस अधिनियम को पारित करते समय हम जिस नए डिजिटल वातावरण में रह रहे हैं, उसे ध्यान में रखा गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं-
  - 2023 के इस अधिनियम में 4 भाग, 12 अध्याय, एक अनुसूची है और इसमें 170 धाराएँ सम्मिलित हैं।
  - यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लेता है।
  - 'एक्ट' को 'अधिनियम' से प्रतिस्थापित किया गया है।
  - भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (आई.ई.ए.) के अधिकार क्षेत्र में भारत का पूरा क्षेत्र सम्मिलित था; हालाँकि, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (बी.एस.ए.) में यह क्षेत्रीय प्रावधान नहीं है।
  - 'दस्तावेज' की परिभाषा में अब ईमेल, सर्वर लॉग्स, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, क्लाउड, वॉयस मैसेज या किसी भी डिजिटल डिवाइस आदि पर विद्यमान इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड सम्मिलित हैं। यह परिभाषा दस्तावेजों के दायरे (स्कोप) को कागज-आधारित डेटा से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक विस्तारित करती है।
  - इसी तरह, इलेक्ट्रॉनिक सूचना को सम्मिलित करने के लिए 'साक्ष्य' की परिभाषा का विस्तार किया गया है।
  - इसी तरह, प्राथमिक साक्ष्य (धारा 57 के तहत)
  - द्वितीयक साक्ष्य (धारा 58 के तहत) के दायरे को डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और फाइलों को सम्मिलित करने के लिए बढ़ाया गया है।
  - नए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पारंपरिक कागजी रिकॉर्ड या दस्तावेजों के समान ही साक्ष्य का महत्व रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का कानूनी प्रभाव, प्रवर्तनीयता और वैधता गैर-डिजिटल रिकॉर्ड के समान ही होगी।
  - बैरिस्टर, प्लीडर (अभिवक्ता), अटॉर्नी (न्यायवादी) या वकील जैसे शब्दों को 'एडवोकेट' (अधिवक्ता) से प्रतिस्थापित किया गया है।
- न्याय को लागू करने के उद्देश्य से, इस नए आपराधिक कानून का उद्देश्य साक्ष्य को समझने और उसके मूल्यांकन के तरीके में महत्वपूर्ण परिवर्तन करना है। इस नियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हमारे जीवन, विशेषकर बच्चों पर प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कई महत्वपूर्ण एवं नए संशोधन किए गए हैं। सभी नए परिवर्धनों में से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन 'दस्तावेज' की नई परिभाषा में है। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग को भी इसके द्वारा प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जाता है।
- इसके परिणामस्वरूप, यह उन बच्चों की रक्षा करता है, जो डिजिटल मीडिया के माध्यम से हिंसा के शिकार हो सकते हैं। यह बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में सूचित करेगा। यदि वे पीड़ित बन जाते हैं तो उन्हें किसी भी अवैध वेब आधारित गतिविधि में भाग लेने के खतरों के बारे में चेतावनी देगा।

डिजिटल प्रौद्योगिकी के लाभ और हानियाँ	
लाभ	**हानियाँ**
यह अधिगम (सीखने) और सूचना (जानकारी) के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करती है।	परिवार के साथ पर्याप्त समय न बिताना और असामाजिक बन जाना।
यह अधिगम को रोचक और अंतर्क्रियात्मक (इंटरैक्टिव) बनाती है।	किसी भी शारीरिक गतिविधि में सम्मिलित न होना, जिससे वजन बढ़ना, ध्यान अवधि में कमी आना।
यहाँ तक कि इसके माध्यम से सबसे वंचित और हाशिए पर पड़े बच्चों को भी सूचना और ज्ञान तक पहुँच मिल सकती है।	फोन आदि के अत्यधिक उपयोग से नींद की गुणवत्ता घटना, अनिद्रा हो जाना।
यह रचनात्मकता और कल्पना के एक माध्यम के रूप में कार्य करती है।	डिजिटल फ्रॉड, साइबर धमकी, फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, हैकिंग, पहचान की चोरी और बाल शोषण जैसी हानिकारक गतिविधियों के संपर्क में आना।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023

- भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली अपने पूरे इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजरी है, जो विभिन्न शासकों और कानूनी परंपराओं से प्रभावित है। सबसे उल्लेखनीय संहिताकरण ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ, जिसने आधुनिक भारतीय आपराधिक कानून का आधार बनाया।

भारतीय दंड संहिता 1860 | दंड प्रक्रिया संहिता 1973 | भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872

2023 से पहले भारत में आपराधिक कानून

- अंग्रेजों ने भारत के आपराधिक कानूनों को संहिताबद्ध किया, जिससे एक संरचित कानूनी प्रणाली बनी, जो हाल के कुछ संशोधनों के साथ काफी हद तक कायम है।

भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.)

- 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत स्थापित प्रथम विधि आयोग द्वारा 1860 में इसका मसौदा तैयार किया गया।
- यह 1 जनवरी 1862 को प्रभावी हुआ।
- आई.पी.सी. भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता के रूप में कार्य करती है, जो आपराधिक अपराधों की परिभाषा, दंड और प्रकृति निर्धारित करती है।

दंड प्रक्रिया संहिता (सी-आर.पी.सी.)

- यह 1973 में अधिनियमित और 1 अप्रैल 1974 को प्रभावी हुआ।
- सी-आर.पी.सी. आपराधिक कानून के प्रशासन की प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें अपराधों की जाँच, साक्ष्य एकत्रित करना, संदिग्धों की गिरफ्तारी और मुकदमों को चलाना सम्मिलित है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आई.ई.ए.)

- इसे ब्रिटिश राज के दौरान इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1872 में पारित किया गया।
- यह भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता को शासित करने वाले नियमों का एक व्यापक समुच्चय प्रदान करता है।

संसद ने दिसंबर 2023 में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए-

- भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023 - भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) में सुधार करता है।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023- दंड प्रक्रिया संहिता (सी-आर.पी.सी.) को प्रतिस्थापित करता है।
- भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) अधिनियम 2023- भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आई.ई.ए.) में संशोधन करता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम यह निर्धारित करता है कि साक्ष्य के माध्यम से तथ्यों को कैसे प्रमाणित किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम न्यायाधीशों को काम की चीजें निकाल लेने ('गेहूँ को भूसे से अलग करने') में सहायता करता है और न्यायालय की कार्यवाही के दौरान तथ्यों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन-सा साक्ष्य स्वीकार किया जा सकता है, इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है, प्रमाण का भार कैसे पूरा किया जाना चाहिए आदि ऐसे मामले हैं, जो साक्ष्य अधिनियम द्वारा शासित होते हैं।
- साक्ष्य कानून की आधारशिला रखने वाले प्रमुख सिद्धांत हैं-
  1. साक्ष्य को मामले तक ही सीमित रखना चाहिए।
  2. सुनी-सुनाई बातों पर आधारित साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
  3. सभी मामलों में सर्वोत्तम साक्ष्य दिया जाना चाहिए।

कानून की दृष्टि से साक्ष्य से हमारा क्या अभिप्राय है?

- कानून में साक्ष्य किसी उस भौतिक वस्तु या तथ्य के दावे को संदर्भित करता है, जिसे जाँच के अंतर्गत किसी मामले की सच्चाई के निर्धारण के लिए सक्षम न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय सत्य पर अपने निर्णय आधारित करने के लिए ऐसे साक्ष्यों को सुनने और उन पर विचार के लिए उचित कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी हैं।
- साक्ष्य के कानून के अंतर्गत तथ्यों के प्रमाण और प्रस्तुति पर प्रक्रियात्मक विनियमन आता है, जिसमें गवाह का बयान, दस्तावेज, भौतिक वस्तुएँ या विदेशी कानून सम्मिलित हैं। ये नियम अनुभव और स्वीकार्य और पर्याप्त प्रमाण का गठन करने वाली विभिन्न कानूनी आवश्यकताओं के माध्यम से विकसित हुए हैं।

- न्यायालय में, साक्ष्य विभिन्न रूप ले सकता है, जिनमें से प्रत्येक कानूनी कार्यवाही में तथ्यों को स्थापित करने या खंडन करने का कार्य करता है। साक्ष्य के उदाहरणों में सम्मिलित हैं-
  1. **गवाह (साक्षी) की गवाही-** एक व्यक्ति, जिसने किसी घटना को देखा है, वह प्रत्यक्ष विवरण प्रदान करता है।
  2. **अनुबंध -** पक्षों के बीच लिखित समझौते।
  3. **ईमेल और पत्र-** पत्राचार, जो समझौतों, विवादों या अन्य प्रासंगिक जानकारी का संकेत दे सकता है।
  4. **आधिकारिक रिकॉर्ड -** जन्म प्रमाण-पत्र, विवाह का प्रमाण, लाइसेंस या अन्य सरकारी दस्तावेज ।
  5. **हथियार -** अपराध करने में इस्तेमाल की जाने वाली बंदूकें, चाकू या अन्य वस्तुएँ।
  6. **कपड़े -** किसी घटना में सम्मिलित व्यक्तियों द्वारा पहनी जाने वाली वस्तुएँ, जिन पर खून या बारूद के अवशेष जैसे प्रमाण के निशान हो सकते हैं।
  7. **डी.एन.ए. साक्ष्य-** जैविक सामग्री, जो किसी व्यक्ति को अपराध स्थल या पीड़ित से जोड़ सकती है।
  8. **चित्र और वीडियो अपराध** स्थल, घटनाओं या प्रासंगिक स्थानों की वीडियो रिकॉर्डिंग।
  9. **आरेख (डायग्राम) और मॉडल-** चाक्षुष सहायक सामग्री (दृश्यिक सहायक सामग्री), जो यह दर्शाने में सहायता करती हैं कि कोई घटना कैसे हुई या अपराध स्थल की स्थिति (लेआउट) कैसी थी।
  10. **फिंगरप्रिंट (अंगुली के निशान)** व्यक्तियों द्वारा छोड़े गए अनूठे पैटर्न, जो उन्हें किसी स्थान या वस्तु से जोड़ सकते हैं।
  11. **कंप्यूटर फाइलें -** कंप्यूटर या अन्य डिजिटल उपकरणों से प्राप्त डाटा।
  12. **निगरानी फुटेज -** सुरक्षा कैमरों से वीडियो रिकॉर्डिंग्स, जो प्रासंगिक गतिविधियों को पकड़ती (कैप्चर करती) हैं।
- प्रत्येक प्रकार के साक्ष्य की स्वीकार्यता को शासित करने वाले विशिष्ट नियम हैं और न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्तुत साक्ष्य प्रासंगिक, विश्वसनीय हो और अनावश्यक रूप से पक्षपातपूर्ण न हो।
- कई मूलभूत कारणों से कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं-
  1. **क्या हुआ यह प्रमाणित करना -** साक्ष्य वास्तविक घटनाओं को स्थापित करने में सहायता करते हैं, जिससे मामले के तथ्य स्पष्ट होते हैं।
  2. **झूठे दावों को रोकना -** साक्ष्य सुनिश्चित करता है कि केवल तथ्यात्मक और सत्यापन योग्य सूचना पर ही विचार किया जाए, जिससे झूठे दावों के स्वीकार किए जाने की संभावना कम हो जाती है।
  3. **अधिकारों का संरक्षण-** साक्ष्य आधारित कार्यवाही निर्णय को सत्यापित सूचना के आधार पर किए जाने को सुनिश्चित करते हुए हुए सभी पक्षों के अधिकारों का संरक्षण करती है।
  4. **वस्तुनिष्ठ निर्णय लेना-** न्यायाधीश पक्षपात और व्यक्तिपरक निर्णयों से बचते हुए निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए साक्ष्य पर विश्वास करते हैं।
  5. **कानूनी आवश्यकताएँ-** साक्ष्य के नियमों का पालन यह सुनिश्चित करता है कि किसी मामले को सिद्ध करने के लिए कानूनी आवश्यकताएँ पूरी हों। विभिन्न प्रकार के मामलों में प्रमाण के अलग-अलग मानक होते हैं, जैसे कि सिविल मामलों में 'साक्ष्य की बहुतायत' और आपराधिक मामलों में 'उचित संदेह से परे'।
  6. **कानूनी प्रणाली में विश्वास-** जब निर्णय ठोस साक्ष्य पर आधारित होते हैं, तो इससे न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ता है।
  7. **पारदर्शिता-** साक्ष्य निर्णयों के लिए एक पारदर्शी आधार प्रदान करते हैं, जिससे यह समझना आसान हो जाता है कि निष्कर्ष कैसे निकाले गए।
- साक्ष्य अधिनियम का एक मुख्य उद्देश्य साक्ष्य की स्वीकार्यता में गलती को रोकना और व्यवहार का अधिक सही और एकसमान कार्य-नियम प्रस्तुत करना है।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के महत्वपूर्ण प्रावधानों और इसके बाद हुए परिवर्तनों पर निम्नलिखित अनुभाग में चर्चा की गई है।

बी.एस.ए., 2023 में नया क्या है?

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में कुल 170 धाराएँ थीं, जिनमें से -
  - 23 धाराएँ बदली गई हैं;
  - एक नई धारा जोड़ी गई है:
  - 5 धाराएँ समाप्त कर दी गई हैं।
- बी.एस.ए., 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आई.ई.ए.), 1872 के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखता है, जिनमें सम्मिलित हैं-
  1. **स्वीकार्य साक्ष्य -** कानूनी कार्यवाही में केवल स्वीकार्य साक्ष्य ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
     - **स्वीकार्य साक्ष्य का वर्गीकरण-**
       - **मुद्दे में तथ्य -** वे तथ्य, जो कानूनी कार्यवाही में दावा किए गए या अस्वीकार किए गए किसी अधिकार, दायित्व या अक्षमता की विद्यमानता, प्रकृति या सीमा को निर्धारित करते हैं।
       - **प्रासंगिक तथ्य -** वे तथ्य, जो किसी दिए गए मामले से संबंधित हैं।
  2. **साक्ष्य के प्रकार-** आई.ई.ए. दो प्रकार के साक्ष्य प्रदान करता है-
     - **दस्तावेजी साक्ष्य -** वे दस्तावेज, जिन्हें साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
     - **मौखिक साक्ष्य -** साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत मौखिक गवाही।

3. **सिद्ध तथ्य -** किसी तथ्य को तब सिद्ध माना जाता है, जब प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायालय यह मानता है कि यह या तो-
   - विद्यमान है, या
   - विद्यमान होने की इतनी संभावना है कि एक विवेकशील व्यक्ति को इस तरह कार्य करना चाहिए, जैसे कि यह मामले की परिस्थितियों में विद्यमान है।
4. **पुलिस द्वारा स्वीकारोक्तियाँ-**
   - पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई कोई भी स्वीकारोक्ति अस्वीकार्य है।
   - पुलिस हिरासत में की गई स्वीकारोक्ति तब तक अस्वीकार्य है, जब तक कि उसे मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज न की गई हो।
   - यद्यपि, हिरासत में किसी अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप कोई तथ्य खोजा जाता है, तो वह सूचना स्वीकार की जा सकती है, यदि वह खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित हो।

बी.एस.ए., 2023 में सम्मिलित किए गए मुख्य परिवर्तन

- बी.एस.ए., 2023 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आई.ई.ए.), 1872 में कई अपडेट्स सम्मिलित हैं-विशेष रूप से दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य के क्षेत्रों में, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और संयुक्त विचारण की स्वीकार्यता-
  1. **दस्तावेजी साक्ष्य**
     - **परिभाषा -** आई.ई.ए. के अंतर्गत एक दस्तावेज में लेखन, नक्शे और कैरिकेचर सम्मिलित हैं। बी.एस.ए. इस परिभाषा को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को सम्मिलित करने के लिए विस्तारित करता है।
     - **दस्तावेजी साक्ष्य के प्रकार**
       - **प्राथमिक साक्ष्य -** मूल दस्तावेज और उसके हिस्से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और वीडियो रिकॉर्डिंग्स।
       - **द्वितीयक साक्ष्य -** दस्तावेज और मौखिक विवरण, जो मूल की सामग्री को प्रमाणित कर सकते हैं। बी.एस.ए. विस्तारित करने के लिए निम्न को सम्मिलित करता है-
         - ✓ मौखिक और लिखित स्वीकारोक्तियाँ।
         - ✓ ऐसे व्यक्ति की गवाही, जिसने दस्तावेज की जाँच की है और दस्तावेजों की जाँच करने में निपुण है।
- 'दस्तावेज' की परिभाषा में अब स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्डस सम्मिलित हैं। इसमें ई-मेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन पर दस्तावेज, संदेश, वेबसाइट, स्थान संबंधी साक्ष्य और डिजिटल डिवाइस पर संग्रहित वॉइस-मेल संदेश पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डस सम्मिलित हैं।
  2. **मौखिक साक्ष्य**
     - आई.ई.ए. के तहत, मौखिक साक्ष्य में जाँच के अंतर्गत किसी तथ्य के संबंध में गवाहों द्वारा न्यायालयों के समक्ष दिए गए बयान सम्मिलित हैं। बी.एस.ए. मौखिक साक्ष्य को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए जाने की अनुमति देता है, जिससे गवाहों, आरोपी व्यक्तियों और पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से गवाही देने की अनुमति मिलती है।
  3. **साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स की स्वीकार्यता**
     - दस्तावेजी साक्ष्य में अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में विद्यमान सूचना सम्मिलित है, जिसे किसी कंप्यूटर द्वारा उत्पादित ऑप्टिकल या मैग्नेटिक मीडिया में मुद्रित या संग्रहित किया गया है।
     - यह सूचना कंप्यूटरों के संयोजन या विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा संग्रहित या संसाधित की गई हो सकती है।
- **प्राथमिक (इलेक्ट्रॉनिक) साक्ष्य के संबंध में स्पष्टता**
  - बी.एस.ए. यह संकल्प करता है कि जब किसी वीडियो रिकॉर्डिंग्स को एक साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित किया जाता है और किसी अन्य स्थान पर प्रेषित, प्रसारित या स्थानांतरित किया जाता है, तो संग्रहित रिकॉर्डिंग्स में से प्रत्येक को प्राथमिक साक्ष्य माना जाता है।
  - यह परिवर्तन जाँच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि भले ही साइबर अपराधी मूल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को नष्ट कर दे, फिर भी साक्ष्य को बिना अपना महत्व खोए अन्य स्रोतों से एकत्र किया जा सकता है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के साथ समन्वयन**
  - धारा 63, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की स्वीकार्यता से संबंधित है, को बेहतर स्पष्टता के लिए 'सेमीकंडक्टर मेमोरी' और 'कोई भी संचार उपकरण' जैसे शब्दों को सम्मिलित करने के लिए अद्यतन किया गया है।
  - इन परिवर्धनों के बावजूद, इस प्रावधान का प्रभाव अपरिवर्तित रहता है क्योंकि आई.टी. अधिनियम, 2000 में 'इलेक्ट्रॉनिक रूप' की परिभाषा में पहले से ही कंप्यूटर मेमोरी' में उत्पन्न, भेजी, प्राप्त या संग्रहित सूचना सम्मिलित है।
  4. **संयुक्त विचारण**
     - संयुक्त विचारण (जॉइंट ट्रायल) से तात्पर्य एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों के विचारण से है। आई.ई.ए. के तहत, यदि किसी अभियुक्त द्वारा किया गया स्वीकारोक्ति संयुक्त विचारण में अन्य अभियुक्तों को प्रभावित करता है, तो इसे दोनों के विरुद्ध स्वीकारोक्ति माना जाएगा।
     - बी.एस.ए. में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि कई व्यक्तियों के विचारण, जहाँ कोई अभियुक्त फरार हो गया है या उसने गिरफ्तारी वारंट का जवाब नहीं दिया है, को संयुक्त विचारण माना जाएगा।
- इन परिवर्तनों का उद्देश्य भारत में कानूनी ढाँचे को आधुनिक बनाना है ताकि सुनिश्चित हो कि यह समकालीन डिजिटल परिदृश्य में डिजिटल साक्ष्य और साइबर अपराध की जटिलताओं को संभालने के लिए लैस है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की मुख्य बातें

- दस्तावेजों में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ई-मेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर, स्मार्ट फोन, लैपटॉप, एस.एम.एस., वेबसाइट, स्थान संबंधी साक्ष्य, उपकरणों पर मेल और संदेश भी सम्मिलित होंगे
- केस डायरी, एफ.आई.आर., चार्जशीट और फैसले सहित सभी रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण
- इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव, वैधता और प्रवर्तनीयता कागजी रिकॉर्ड्स के समान ही होगी

निष्कर्ष

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की परिभाषा और स्वीकार्यता में स्पष्टता लाता है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के सुरक्षित उपयोग के लिए विशेषज्ञ प्रमाणन और हैश एल्गोरिदम के महत्व पर बल देता है। यद्यपि, यह जोर साइबर प्रयोगशालाओं के लिए चुनौतियाँ खड़ी कर सकता है क्योंकि उनके कार्यभार में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है।
- प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एन्क्रिप्शन विधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इन कानूनों के लागू होने से पहले आवश्यक आधारभूत ढाँचा उपस्थित हो। कुल मिलाकर, ये परिवर्तन डिजिटल युग में उभरती चुनौतियों के समाधान के लिए भारत में आपराधिक कानूनों को आधुनिक बनाने की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं।

सोच-विचार के बिंदु	भारतीय दंड संहिता का मसौदा 1834 में लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। यह मसौदा 1835 में भारत के गवर्नर-जनरल परिषद को प्रस्तुत किया गया था।
सोच-विचार के बिंदु	12 मार्च 1872 को वायसराय की विधान परिषद के 13 सदस्यों ने अपने विधि सदस्य जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन द्वारा तैयार किए गए भारतीय साक्ष्य विधेयक को अंगीकार करने के प्रस्ताव पर विचार किया।

प्रश्नोत्तरी

1. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे साक्ष्य नहीं माना जाता है?

(क) मौखिक कथन
(ख) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स
(ग) सुनी-सुनाई बातें
(घ) दस्तावेज

(उत्तर- ग)

2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर लागू होता है?

(क) केवल सिविल मामले
(ख) केवल आपराधिक मामले
(ग) सिविल और आपराधिक दोनों मामले
(घ) इनमें से कोई नहीं

(उत्तर- ग)

3. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से प्राप्त जानकारी किस प्रकार के साक्ष्य से संबंधित है?

(क) मौखिक साक्ष्य
(ख) दस्तावेजी साक्ष्य
(ग) डिजिटल साक्ष्य
(घ) भौतिक साक्ष्य

(उत्तर- घ)

4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत दस्तावेजों की धारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

(क) किसी दस्तावेज को तब तक असली माना जाता है, जब तक कि अन्यथा प्रमाणित न हो जाए।
(ख) किसी दस्तावेज को तब तक झूठा माना जाता है, जब तक कि अन्यथा प्रमाणित न हो जाए।
(ग) कोई भी दस्तावेज हमेशा अस्वीकार्य होता है।
(घ) इनमें से कोई नहीं

(उत्तर- क)

5. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(क) गिरफ्तारी और हिरासत की प्रक्रियाओं को परिभाषित करना
(ख) न्यायालय में साक्ष्य की स्वीकार्यता के बारे में नियम बनाना
(ग) मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया की रूपरेखा बनाना
(घ) अधिवक्ताओं (वकीलों) के आचरण को विनियमित करना

(उत्तर- ख)

6. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्वीकार्य साक्ष्य नहीं माना जाता है?

(क) दबाव में दिए गए इकबालिया बयान
(ख) सम्मिलित पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज
(ग) गवाहों की गवाही
(घ) ई-मेल जैसे डिजिटल साक्ष्य

(उत्तर- क)

7. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक साक्ष्य माना जाता है?

(क) किसी दस्तावेज की एक प्रति

(ख) किसी दस्तावेज की सामग्री के बारे में मौखिक गवाही

(ग) मूल दस्तावेज

(घ) दस्तावेज का डिजिटल चित्र

(उत्तर- ग)

8. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत कौन-सा शब्द ऐसे साक्ष्य को संदर्भित करता है, जो सीधे मुद्दे में तथ्य से संबंधित है?

(क) सुनी-सुनाई बातें

(ख) परिस्थितिजन्य साक्ष्य

(ग) प्रत्यक्ष साक्ष्य

(घ) द्वितीयक साक्ष्य

(उत्तर- ग)

9. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत दीवानी मामले में प्रमाण प्रस्तुत करने का भार आमतौर पर इस पर होता है-

(क) प्रतिवादी

(ख) वादी

(ग) न्यायाधीश

(घ) गवाह

(उत्तर- ख)

10. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार, दबाव या जबरदस्ती के अंतर्गत दिया गया इकबालिया बयान-

(क) साक्ष्य के तौर पर स्वीकार्य

(ख) साक्ष्य के तौर पर अस्वीकार्य

(ग) सशर्त स्वीकार्य

(घ) सदैव अप्रासंगिक

(उत्तर-ख)

Springboard ACADEMY

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023

भारत में साक्ष्य विधि का विकास

- अंग्रेज़ी पद एविडेंस (साक्ष्य) लैटिन भाषा के शब्द एविडेंस या एविडेयर से आया है, जिसका अर्थ है- स्पष्ट रूप से दर्शाना, देखने के लिए स्पष्ट करना, स्पष्ट रूप से खोजना, स्पष्ट रूप से निश्चित करना, सिद्ध करना।
- ब्रिटिश राज के दौरान वर्ष 1872 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा इंडियन एविडेंस एक्ट (आई.ई.ए.) मूल रूप से न्यायालयों के समक्ष लाए गए मामलों में साक्ष्य से संबंधित विधियाँ प्रदान करने तथा इनके तथ्यों को सिद्ध करने में सहायता देने एवं उक्त तथ्यों के आधार पर निर्णय का आदेश सुनाने के लिए पारित किया गया था। यह 'विशेषण विधि' की श्रेणी में आता है और इसमें वे अभिवचन तथा विधियाँ परिभाषित की गई हैं, जिनके माध्यम से मूलभूत तथा प्रक्रियागत विधियाँ प्रचालित की जाती हैं। इस अधिनियम द्वारा भारत में सिविल और आपराधिक दोनों तरह की प्रक्रियाओं को शासित किया जाता है।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार 'साक्ष्य' का अर्थ है और इसमें सम्मिलित हैं-
  - सभी कथनों सहित इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए कथन जाँच के अधीन लाए गए मामलों के संदर्भ में न्यायालय को, जिनकी गवाहों द्वारा प्रस्तुत करने की अनुमति या आवश्यकता होती है और ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहे जाते हैं।
  - सभी दस्तावेजों सहित इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख, जो न्यायालय में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं ऐसे दस्तावेज दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं।
- दस्तावेज और साक्ष्य की परिभाषाएँ व्यापक हो गई हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या डिजिटल अभिलेख सम्मिलित किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में किसी भी वस्तु को अब दस्तावेज के रूप में लिया जाएगा तथा साक्ष्य माना जाएगा। साक्ष्य की परिभाषा से न्यायालयों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विचारण (ट्रायल) के दौरान साक्षियों (गवाह) की जाँच का अधिकार मिलता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 का लक्ष्य निष्पक्ष विचारण (ट्रायल) के साक्ष्य के लिए सामान्य नियमों और सिद्धांतों का समेकन करना और प्रदान करना है। इस अधिनियम में विभिन्न प्रगतिशील प्रावधान शामिल किए गए हैं, जैसे- इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेखों को सम्मिलित करने के लिए परिभाषा का विस्तार, प्राथमिक साक्ष्य की परिभाषा का विस्तार, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में ग्राह्य बनाने का प्रावधान, भारत के राष्ट्रपति एवं मंत्रियों के बीच विशेषाधिकार प्राप्त संप्रेषण को न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखना, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य आदि को संभालने के लिए प्रमाणपत्र का प्रावधान आदि। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुल 170 धाराएँ हैं, जबकि पूर्व के भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कुल 167 धाराएँ थीं।

औचित्य

- साक्ष्य विधि हमारी विधिक प्रणाली का एक मूल भाग है, जो प्राथमिक रूप से इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोई अभियोजित व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक उसे दोषी सिद्ध नहीं कर दिया जाता है। इसमें इसे निर्धारित करने के लिए नियम और दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं, कि इसे किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए और इसका मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए। यहाँ अनेक कारण बताए गए हैं कि साक्ष्य विधि क्यों अनिवार्य है-
    - **विधिक कार्यवाहियों में निष्पक्षता सुनिश्चित करना-** साक्ष्य विधि में सुनिश्चित होता है कि किसी विधिक विवाद में दोनों पक्षकारों को अपना मामला प्रस्तुत करने का निष्पक्ष अवसर मिलता है। साक्ष्य के रूप में किसे उपयोग किया जा सकता है, इस बारे में स्पष्ट नियम बनाने से एक विचारण (ट्रायल) के परिणामों के पक्षपातपूर्ण होने या असंगत जानकारी से प्रभावित होने की रोकथाम की जाती है।
    - **व्यक्तियों के अधिकार की सुरक्षा-** साक्ष्य विधि से उन मानकों की स्थापना द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा की जाती है कि साक्ष्य किस प्रकार प्राप्त और प्रस्तुत किया जाए, उदाहरण के लिए- इसमें बलपूर्वक या अवैध साधनों के माध्यम से साक्ष्य के उपयोग को प्रतिबंधित करना, यह सुनिश्चित करना कि विधिक प्रक्रिया में सभी पक्षकारों के अधिकार सम्मिलित हैं।
    - **विश्वसनीयता और सटीकता को प्रोत्साहन -** इस आवश्यकता द्वारा संगत, अभिप्रमाणित और विधिक तरीके से साक्ष्य प्राप्त किए जाने से साक्ष्य विधि को न्यायालय में प्रस्तुत की गई जानकारी की विश्वसनीयता और सटीकता को प्रोत्साहन मिलता है। इससे भरोसेमंद और सत्यापन योग्य तथ्यों के आधार पर न्यायपूर्ण निर्णय लेने में सहायता मिलती है।
    - **न्यायिक प्रणाली की दक्षता में वृद्धि-** साक्ष्यों के स्पष्ट नियमों से न्यायिक प्रक्रिया सुचारु रूप से चलती है, जिसमें यह तय होता है कि क्या स्वीकार्य (ग्राह्य) है और क्या नहीं। इससे अनावश्यक विलंब नहीं होता है तथा सुनिश्चित किया जाता है कि विचारण (ट्रायल) क्रमिक और दक्षतापूर्वक किया जाता है।
    - **प्रतिस्पर्धी हितों में संतुलन -** विधिक कार्रवाइयों में कई बार प्रतिस्पर्धी हित आड़े आ जाते हैं। साक्ष्य विधि द्वारा इन हितों में संतुलन के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि अभियुक्त के अधिकारों को सुरक्षित किया जाता है और साथ ही अभियोजन पक्ष को बाध्यतापूर्ण तरीके से मामला प्रस्तुत करने की अनुमति होती है। न्याय और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह संतुलन अति महत्वपूर्ण है।
    - **प्रौद्योगिकीय प्रगति को अपनाना** जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होता है, उसके साथ ही साक्ष्य के प्रकार का स्वरूप भी आगे बढ़ता है। साक्ष्य विधि को इस प्रकार बनाया जाए कि नए प्रकार के साक्ष्यों, जैसे- इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल संचारों के लिए नियम शामिल करने से हुए बदलावों को अपनाया जा सके। इस अनुकूलन से यह सुनिश्चित होता है कि न्याय प्रणाली में साक्ष्य के आधुनिक रूपों को प्रभावी तरीके से संभाला जा सकता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की विशेष बातें

- इसमें प्रावधान दिया गया है कि साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई ऐसी कोई भी जानकारी शामिल है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाह, अभियुक्त, विशेषज्ञों और पीड़ितों को उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है।
- इसमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता प्रदान की जाती है, जिसका विधिक प्रभाव, वैधता और प्रवर्तनीयता किसी अन्य दस्तावेज के समान ही होती है।
- इसका उद्देश्य माध्यमिक साक्ष्य के दायरे का विस्तार करना है।
- इसका उद्देश्य न्यायालयों में स्वीकार्य तथ्यों और उनके प्रमाणीकरण पर सीमाएँ लगाना है।
- इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल हस्ताक्षर शामिल हैं।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में औपनिवेशिक काल के शब्दों, जैसे कि 'यूनाइटेड किंगडम की संसद', 'प्रांतीय अधिनियम', 'लंदन गजट', 'कॉमनवेल्थ', 'प्रिवी काउंसिल', 'क्वीन्स प्रिंटर', 'हर मेजेस्टी', औपनिवेशिक उद्घोषणाएँ और आदेश हटा दिए गए हैं। 'वकील', 'प्लीडर', 'बैरिस्टर' जैसे पुराने शब्दों की जगह 'एडवोकेट' रखा गया है। 'पागल (ल्यूनेटिक)' जैसे शब्दों की जगह 'अस्वस्थ व्यक्ति' जैसे अधिक संवेदनशील शब्द इस्तेमाल किए गए हैं।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम का वर्गीकरण

1. तथ्यों की सार्थकता
    - धारा 3-50
2. तथ्य जिन्हें सिद्ध करने की आवश्कता नही है
    - धारा 51-103
3. साक्ष्य उत्पादन और प्रभाव
    - धारा 104-170

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के महत्वपूर्ण प्रावधान

- साक्ष्य प्रक्रमण में प्रौद्योगिकी और डिजिटल साधनों का उपयोग 'दस्तावेजों' की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें ई-मेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन पर मौजूद दस्तावेज, संदेश, वेबसाइट, स्थान संबंधी साक्ष्य और डिजिटल उपकरणों पर रखे गए वॉयस मेल संदेशों पर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, 'साक्ष्य' की परिभाषा का विस्तार करके इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई कोई भी जानकारी शामिल की गई है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से गवाहों, अभियुक्तों, विशेषज्ञों और पीड़ितों के हाजिर होने में सक्षम बनाएगी।
  - क्या आप जानते हैं कि कुछ संप्रेषण को विशेषाधिकार प्राप्त संप्रेषण माना जाता है और उन्हें अदालत में प्रकट नहीं किया जा सकता है? उदाहरण के लिए- एक वकील और उनके मुवक्किल के बीच या पति-पत्नी के बीच संप्रेषण को संरक्षित किया जाता है। इससे संवेदनशील रिश्तों में गोपनीयता और विश्वास सुनिश्चित किया जाता है।
- **प्राथमिक साक्ष्य-** प्राथमिक साक्ष्य की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें निर्मित या संगृहीत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, उचित अभिरक्षा से उत्पादित इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक साथ संगृहीत और किसी अन्य को प्रेषित या प्रसारित वीडियो रिकॉर्डिंग; तथा कंप्यूटर संसाधन में एकाधिक भंडारण स्थानों में संग्रहीत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को शामिल किया गया है।
  - **प्राथमिक साक्ष्य -** सर्वोच्च गुणवत्तापरक साक्ष्य है और इसे सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है। यह जाँच के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए मूल दस्तावेज या सामग्री को संदर्भित करता है। इस प्रकार का साक्ष्य बिना किसी मध्यस्थ के सीधे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण- किसी व्यवसाय में दो पक्षों के बीच हस्ताक्षरित मूल संविदा प्राथमिक साक्ष्य है।
- **द्वितीयक साक्ष्य-** द्वितीयक साक्ष्य के दायरे को बढ़ाकर इसमें मूल प्रति से यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाई गई प्रतियाँ, मूल से बनाई गई या उसके साथ तुलना की गई प्रतियाँ, उन पक्षों के प्रति दस्तावेजों के प्रतिरूप, जिन्हें निष्पादित नहीं किया गया है और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए दस्तावेज की विषय-वस्तु के मौखिक विवरण भी शामिल किए गए हैं, जिसने इसे स्वयं देखा है। जब दस्तावेज की वास्तविकता संदिग्ध हो तो इसमें मौखिक स्वीकृति भी शामिल होगी। इसके अलावा, द्वितीयक साक्ष्य तब दिया जा सकता है, जब मूल के अस्तित्व, स्थिति या विषय-वस्तु को लिखित रूप में स्वीकार किया जाता है।
  - जैसा कि नाम से पता चलता है, द्वितीयक साक्ष्य का उपयोग तब किया जाता है, जब प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है। इसमें मूल दस्तावेजों या सामग्रियों की प्रतियाँ या प्रतिस्थापित प्रतियाँ शामिल हैं। जब प्राथमिक साक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो न्यायालय में विशिष्ट परिस्थितियों में द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार्य है। उदाहरण- मूल संविदा की एक फोटोकॉपी, जब मूल दस्तावेज खो जाता है या नष्ट हो जाता है, तो द्वितीयक साक्ष्य विचार में लिया जाता है।
  - कोई साक्ष्य तभी स्वीकार्य होता है, जब उसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाना उचित समझा जाता है।
- **इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता -** इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता प्रदान करने के लिए एक नई धारा को जोड़ा गया है।
- **इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड -** इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की विषय-वस्तु को प्रमाणित और सत्यापित करने के लिए अनुसूची में एक प्रमाणपत्र जोड़ा गया है, जिसमें यह शर्त शामिल है कि कंप्यूटर का उपयोग उस व्यक्ति द्वारा नियमित गतिविधियों के लिए नियमित रूप से किया जाना चाहिए, जिसका उस पर वैध नियंत्रण हो, उसमें नियमित रूप से डेटा डाला जाता हो, कंप्यूटर ठीक से काम कर रहा हो, आदि।
- **मंत्रियों और राष्ट्रपति के बीच विशेषाधिकार प्राप्त संचार-** भारत के मंत्रियों और राष्ट्रपति के बीच किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त संप्रेषण की जाँच करने से न्यायालयों को रोकने के लिए एक प्रावधान जोड़ा गया है।
- **विशेषज्ञ -** भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में परिभाषा में 'विदेशी विधि (कानून), विज्ञान या कला' और 'या कोई अन्य क्षेत्र' जोड़कर विशेषज्ञों की परिभाषा का विस्तार किया गया है, जो 'विदेशी विधि, विज्ञान या कला' को जोड़कर अपनी राय दे सकते हैं।

तथ्य, मुद्दे में तथ्य और प्रासंगिक तथ्य

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, 'तथ्य' का अर्थ है और इसमें शामिल हैं-
  - कोई भी वस्तु, वस्तुओं की स्थिति या वस्तुओं का संबंध, जो इंद्रियों द्वारा अनुभव किए जाने योग्य हो-
  - कोई भी मानसिक स्थिति, जिसके प्रति कोई व्यक्ति सचेत हो।
- 'विवाद्यक तथ्य' का अर्थ है और इसमें कोई भी तथ्य शामिल है, जिससे, या तो अपने आप में या अन्य तथ्यों के संबंध में, किसी भी अधिकार, दायित्व या निःशक्तता का अस्तित्व, अस्तित्व में नहीं होने, प्रकृति या सीमा, किसी भी मुकदमे या कार्रवाई में दावा या अस्वीकार, अनिवार्य रूप से उत्पन्न होता है।
  - क्या आप जानते हैं कि एस्टोपल के सिद्धांत द्वारा किसी व्यक्ति को उसके द्वारा पहले बताई गई बातों या सहमति का खंडन करने से रोका जाता है, यदि किसी और ने उस कथन पर विश्वास किया हो? उदाहरण के लिए- यदि कोई मकान मालिक किसी व्यक्ति को किरायेदार के रूप में स्वीकार करता है और फिर अदालत में उसे अस्वीकार करने की कोशिश करता है. तो मकान मालिक को ऐसा करने से रोक दिया जाता है।
- किसी तथ्य को दूसरे तथ्य से तब संगत माना जाता है, जब वे संगत तथ्यों के बारे में अधिनियम में नियमों के अनुसार इस तरह से जुड़े होते हैं। संगत होने का अर्थ है कि इनमें कोई संबंध है और इस संबंध से न्यायाधीश को यह तय करने में मदद मिलती है कि चर्चा किए जा रहे मामले में तथ्य सत्य है या नहीं।

- **उदाहरण -** एक कानूनी मामले की कल्पना करें, जिसमें किसी व्यक्ति पर किसी दुकान से कोई मूल्यवान वस्तु चुराने का आरोप लगाया जाता है। इस मामले में-
    - विचाराधीन 'तथ्य' आरोपी व्यक्ति के कब्जे में चोरी की गई वस्तु प्राप्त होगी।
    - 'विवाद्यक तथ्य' यह होगा कि क्या आरोपी व्यक्ति ने वास्तव में वस्तु चुराई थी।
    - इस तथ्य का 'संगत होना' कि वस्तु आरोपी व्यक्ति के कब्जे में पाई गई थी, यह इस बात से निर्धारित होता है कि यह समग्र मामले से कैसे जुड़ती है। यदि इस बात का साक्ष्य है कि आरोपी व्यक्ति को बिना अनुमति के वस्तु ले जाते देखा गया था या यदि वस्तु उसके सामान में छिपी हुई पाई गई थी, तो यह तथ्य चोरी के मामले में उसके अपराध या निर्दोष सिद्ध करने के लिए संगत हो जाता है।

सिद्ध, असिद्ध और सिद्ध नहीं किए गए तथ्य

- किसी तथ्य को 'सिद्ध' तब कहा जाता है, जब उसके समक्ष मामलों पर विचार करने के बाद न्यायालय या तो यह मानता है कि यह मौजूद है, या इसके अस्तित्व की संभावना मानता है कि किसी विवेकवान व्यक्ति को विशेष मामले की परिस्थितियों में इस धारणा पर कार्य करना चाहिए कि यह मौजूद है।
- किसी तथ्य को 'असिद्ध' तब कहा जाता है, जब उसके समक्ष मामलों पर विचार करने के बाद, न्यायालय या तो यह मानता है कि यह मौजूद नहीं है, या इसके अस्तित्व में न होने की संभावना है कि किसी विवेकवान व्यक्ति को, विशेष मामले की परिस्थितियों में इस धारणा पर कार्य करना चाहिए कि यह मौजूद नहीं है।
- किसी तथ्य को 'सिद्ध नहीं' तब कहा जाता है, जब उसे न तो सिद्ध किया जाता है और न ही असिद्ध किया जाता है। इसका अर्थ है कि न तो तथ्य निश्चित रूप से सिद्ध होता है और न ही तथ्य के अस्तित्व पर विश्वास किया जाता है। दूसरे शब्दों में, सामान्य विवेकवान व्यक्ति न तो यह मानता है कि तथ्य मौजूद है और न ही वह यह मानता है कि तथ्य मौजूद नहीं है।

साक्ष्य का बोझ

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जो यह चाहता है कि न्यायालय किसी कानूनी अधिकार या दायित्व के बारे में उसके पक्ष में निर्णय दे, तो उसे उन तथ्यों को सिद्ध करना होगा, जिनका दावा वह कर रहा है। इन तथ्यों के अस्तित्व को सिद्ध करने के इस दायित्व को साक्ष्य का बोझ कहा जाता है।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में आगे स्पष्ट किया गया है कि साक्ष्य का बोझ उस व्यक्ति पर होता है, जो कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने पर केस हार जाएगा। दूसरे शब्दों में, साक्ष्य का भार उस पक्ष पर होता है जो मुकदमा या कोई कानूनी कार्यवाही शुरू करता है।
- उदाहरण - यदि कोई व्यक्ति यह दावा करते हुए मुकदमा दायर करता है कि उसके पड़ोसी ने उसकी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है तो साक्ष्य का बोझ उस व्यक्ति पर होता है, जिसने मुकदमा दायर किया है। उसे अपने दावे का समर्थन करने के लिए साक्ष्य पेश करने होंगे। यदि वह पर्याप्त साक्ष्य नहीं दे सकता है, तो न्यायालय उसके पक्ष में फैसला नहीं देगा।

साक्ष्य की स्वीकार्यता

- साक्ष्य की स्वीकार्यता से तात्पर्य है कि क्या किसी चीज़ को कानून की न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है या इस्तेमाल किया जा सकता है। साक्ष्य में दस्तावेज, गवाही या भौतिक वस्तुएँ शामिल हैं, जो किसी मुकदमे में तथ्यों को सिद्ध या गलत सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं। न्यायालय में सभी साक्ष्यों की अनुमति नहीं है; केवल विश्वसनीय और संगत साक्ष्य को ही स्वीकार्य माना जाता है। इसका अर्थ है कि साक्ष्य भरोसेमंद होने चाहिए और सीधे तौर पर मुकदमे से संबंधित होने चाहिए। न्यायालय साक्ष्य की स्वीकार्यता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कानूनी निर्णय लेने के लिए केवल उचित और विश्वसनीय जानकारी का उपयोग किया जाए।
- उदाहरण के लिए चोरी के मामले में, यदि अभियोजन पक्ष अपराध स्थल पर आरोपी को दिखाते हुए सुरक्षा कैमरे का फुटेज प्रस्तुत करना चाहता है तो न्यायालय यह आकलन करेगा कि क्या फुटेज में कुछ मानदण्डों को पूरा किया जाता है। इसमें फुटेज की प्रामाणिकता की पुष्टि करना, यह सुनिश्चित करना शामिल है कि यह मामले के लिए संगत है अर्थात् आरोपी को चोरी करते हुए दिखाता है और यह पुष्टि करना कि इसे विधि सम्मत रूप से प्राप्त किया गया था। यदि न्यायालय यह निर्धारित करता है कि फुटेज में इन मानदण्डों को पूरा किया जाता है और विश्वसनीय है तो इसे स्वीकार्य माना जाएगा और विचारण (ट्रायल) के दौरान साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
    - क्या आप जानते हैं कि मृत्यु से पहले दिया गया वक्तव्य या बयान अर्थात् किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया वक्तव्य या बयान, जो मानता है कि वह मरने वाला है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत पुष्ट प्रमाण माना जाता है? औचित्य यह है कि मृत्युशैया पर लेटा हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता।
    - क्या आप जानते हैं कि अपराध के समान किए गए कार्य के हिस्से के रूप में दिए गए बयान, साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं? 'रेस गेस्टे' नाम के इस सिद्धांत में उन बयानों को विश्वसनीय माना जाता है, जो घटना के साथ सहज और समकालीन हैं। उदाहरण के लिए-हमले के दौरान मदद के लिए पुकार को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

स्वीकृति और स्वीकारोक्ति

- स्वीकृति को गवाहों द्वारा बोले गए कथन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें किसी मामले में किसी मुद्दे या संगत तथ्य के बारे में अनुमान दर्शाया जाता है। स्वीकृति एक दस्तावेज, मौखिक कथन के रूप में हो सकती है या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो सकती है। कार्यवाही में पक्षकार द्वारा या किसी ऐसे पक्षकार के एजेंट द्वारा दिए गए कथन, जिन्हें न्यायालय मामले की परिस्थितियों के तहत, उन्हें बनाने के लिए स्पष्ट रूप से या निहित रूप से अधिकृत मानता है, स्वीकृति कहलाते हैं।
    - आम तौर पर किसी भी व्यक्ति को अदालत में गवाह बनने के लिए सक्षम माना जाता है? हालाँकि, बच्चों या अस्वस्थ दिमाग वाले लोगों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक परीक्षण से गुजरना पड़ता है कि वे कार्रवाई को समझते हैं और विश्वसनीय साक्ष्य प्रदान कर सकते हैं।

- आमतौर पर, आपराधिक मामले में अभियुक्त द्वारा अपना अपराध स्वीकार करना स्वीकृति के रूप में जाना जाता है। कथन से यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि वह अपराध का दोषी है। उदाहरण के लिए - चोरी के एक मामले पर विचार करें, झूमा पर एक मूल्यवान वस्तु चोरी करने का आरोप है। मुकदमे के दौरान, चोरी के समय वहाँ मौजूद एक व्यक्ति यह कहते हुए बयान देता है, "हाँ, मैंने इस लड़की (झूमा का जिक्र करते हुए) को स्टोर से सामान लेते हुए देखा था।" यह कथन एक स्वीकृति है, क्योंकि यह सीधे तौर पर उस तथ्य से संबंधित है, जो यह है कि क्या झूमा ने चोरी की थी।
- अब यदि झूमा खुद कहती है, "हाँ, मैंने सामान लिया था" तो यह एक स्वीकारोक्ति होगी। यह अपराध की स्वीकृति है और मामले में उसके विरुद्ध पुष्ट साक्ष्य माना जाता है।

गवाह

- गवाह या साक्षी वह व्यक्ति है, जिसने किसी घटना को व्यक्तिगत रूप से देखा या अनुभव किया हो, जैसे कि कोई अपराध, दुर्घटना या कोई महत्वपूर्ण घटना।

गवाहों के प्रकार

- **अभियोजन पक्ष का गवाह-** अभियोजन पक्ष इस गवाह को अपने मामले का समर्थन करने के लिए लाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति, जिसने अपराध देखा और जो हुआ, उसका वर्णन कर सकता है।
- **बचाव पक्ष का गवाह -** इस गवाह को बचाव पक्ष द्वारा अभियुक्त को निरपराध सिद्ध करने में मदद करने के लिए लाया जाता है।
- **प्रत्यक्षदर्शी गवाह -** कोई ऐसा व्यक्ति, जो घटनास्थल पर मौजूद था और जिसने घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखा।
- **विशेषज्ञ गवाह -** मामले से संबंधित किसी विशेष विषय के बारे में व्यावसायिक, शैक्षिक या तकनीकी ज्ञान वाला विशेषज्ञ, उदाहरण के लिए- एक फोरेंसिक वैज्ञानिक, जो डी.एन.ए. साक्ष्य की व्याख्या कर सकता है।
- **मुकरने वाला गवाह -** एक गवाह, जिसके बयानों से पता चलता है कि वह सत्य नहीं बोल रहा है या सच्चाई को प्रकट करने में इच्छुक नहीं हैं। उदाहरण के लिए- एक गवाह जो शपथ लेकर भी अपनी कहानी बदलता रहता है।
- **बाल गवाह -** एक बच्चा, जो न्यायालय द्वारा पूछे गए सवालों को समझता है और तर्कसंगत जवाब दे सकता है।
- संयोगवश आए गवाह - एक व्यक्ति, जो संयोग से अपराध स्थल पर था। उदाहरण के लिए- कोई ऐसा व्यक्ति, जो वहाँ से गुज़र रहा था और जिसने घटना को घटते हुए देखा।
- **साथी गवाह -** अपराध में शामिल एक व्यक्ति जो इसके बारे में गवाही देता है। उदाहरण के लिए- एक चोर, जो पुलिस के साथ सहयोग करता है और अपराध में अपने सहयोगियों के खिलाफ गवाही देता है।

विशेषज्ञ के साक्ष्य

- विशेषज्ञ गवाह वह व्यक्ति है, जिसके पास किसी विशेष क्षेत्र में विशेष ज्ञान या कौशल होता है, जो मामले से सीधे संबंधित नहीं होता है, लेकिन वह न्यायालय को जटिल मुद्दों को समझने में मदद कर सकता है। ये विशेषज्ञ न्यायालय को व्यापक दृष्टिकोण देने और न्याय देने में सहायता करने के लिए अपनी व्यावसायिक राय देते हैं।
    - क्या आप जानते हैं कि न्यायालय में विशेषज्ञों की राय स्वीकार्य है? उदाहरण के लिए- हस्तलेखन, अँगुलियों के निशान या यहाँ तक कि चिकित्सा मामलों पर डॉक्टर की राय किसी मामले को सुलझाने में महत्वपूर्ण हो सकती है। इससे न्यायालय को विशेष ज्ञान के आधार पर संसूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है।
- जब न्यायालय को विदेशी कानून, विज्ञान, कला, हस्तलेख या अँगुलियों के निशान जैसे किसी विशिष्ट विषय पर राय बनाने की आवश्यकता होती है, तो वह उन क्षेत्रों के विशेषज्ञों की राय पर निर्भर करता है। इन विशेष रूप से दक्ष व्यक्तियों की राय को संगत तथ्य माना जाता है। इन विशेषज्ञों को तकनीकी या विशेष जानकारी समझाने के लिए बुलाया जाता है, जो सामान्य व्यक्ति की समझ से परे होती है।

इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख

- 'दस्तावेज' की परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत, 'दस्तावेज' की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं। इसका अर्थ है कि ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफ़ोन पर दस्तावेज, संदेश, वेबसाइट, स्थान संबंधी साक्ष्य और डिजिटल डिवाइस पर संगृहीत वॉइसमेल संदेश सभी को दस्तावेज माना जाता है।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत 'दस्तावेज' या 'दस्तावेजी साक्ष्य' के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, जानकारी को अक्षरों, आँकड़ों या चिह्नों के माध्यम से व्यक्त किया जाना आवश्यक नहीं है। किसी भी पदार्थ पर किसी भी माध्यम से दर्ज की गई किसी भी जानकारी को दस्तावेज के रूप में अर्हता प्राप्त होगी।
- **'साक्ष्य' की परिभाषा-** भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक जानकारी भी शामिल है। गवाहों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए बयानों को मौखिक बयानों की तरह ही साक्ष्य माना जाता है।
  - कुछ तथ्य न्यायालय द्वारा किसी साक्ष्य के बिना ही मान लिए जाते हैं? उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के बारे में सात साल तक उन लोगों को पता नहीं चला, जो स्वाभाविक रूप से उसके बारे में सुन सकते थे, तो कानून यह मान लेता है कि वह मर चुका है, जब तक कि अन्यमा सिद्ध न हो जाए।
- **प्राथमिक साक्ष्य -** प्राथमिक साक्ष्य में मूल दस्तावेज और कुछ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ऐसे उदाहरण प्रदान करता है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य माना जाता है-
  1. **कई फाइलें -** यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कई फाइलों में बनाया या संगृहीत किया जाता है, तो प्रत्येक फाइल प्राथमिक साक्ष्य होती है।
  2. **उचित अभिरक्षा -** यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उचित अभिरक्षा से तैयार किया जाता है और इसके साथ कोई विवाद नहीं है, तो यह प्राथमिक साक्ष्य होता है।
  3. **एक साथ संग्रहण -** यदि वीडियो रिकॉर्डिंग को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संगृहीत किया जाता है और साथ ही अन्यत्र प्रेषित या स्थानांतरित किया जाता है, तो प्रत्येक संगृहीत रिकॉर्डिंग प्राथमिक साक्ष्य होती है।
  4. **एकाधिक संग्रहण स्थान -** यदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कंप्यूटर में कई स्थानों पर संगृहीत किया जाता है, तो अस्थायी फाइलों सहित प्रत्येक संग्रहण स्थान प्राथमिक साक्ष्य होता है।
- इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए हर बार इसके साथ प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र के लिए एक निर्दिष्ट प्रारूप प्रदान किया जाता है। इस प्रमाण पत्र से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की प्रामाणिकता को सत्यापित करने में मदद मिलती है।

मुख्य परीक्षा, पुनः परीक्षा और प्रतिपरीक्षा (जिरह)

- जिस पक्ष पर साक्ष्य का भार होता है, वह गवाहों की परीक्षा शुरू करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह प्रक्रिया न्यायालय में साक्ष्य पेश करने और उसे चुनौती देने में महत्वपूर्ण होती है। इसमें शामिल चरण इस प्रकार हैं-
  1. मुख्य परीक्षा- यह गवाह की उस पक्ष द्वारा प्रारंभिक परीक्षा होती है, जिसने उन्हें बुलाया था। इसका उद्देश्य उन तथ्यों को प्राप्त करना होता है, जो साक्ष्य का बोझ वहन करने वाले पक्ष के मामले का समर्थन करते हैं।
  2. प्रतिपरीक्षा - प्रमुख परीक्षा के बाद, विरोधी पक्ष को गवाह से सवाल करने का अवसर मिलता है। यहाँ उद्देश्य प्रमुख परीक्षा के दौरान दी गई गवाही की विश्वसनीयता और विश्वसनीयता को चुनौती देना है।
     - सामान्यतः प्रत्यक्ष परीक्षण के दौरान उत्तरों के सुझाव वाले प्रमुख प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाती है, लेकिन बहस (जिरह) के दौरान अनुमति दी जाती है? इस अंतर से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि गवाह केवल जाँच करने वाले वकील के सुझावों से सहमत होने के बजाए अपनी गवाही दें।
  3. पुनः परीक्षा- जिस पक्ष ने शुरू में गवाह को बुलाया था, वह जिरह के बाद उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है। इस कदम का उद्देश्य जिरह के दौरान दिए गए किसी भी उत्तर को समझाना या स्पष्ट करना है, जिसने गवाह की प्रारंभिक गवाही को कमजोर किया हो।

साक्ष्य के प्रकार

- सामान्यतः साक्ष्य के प्रकार निम्नानुसार हैं-

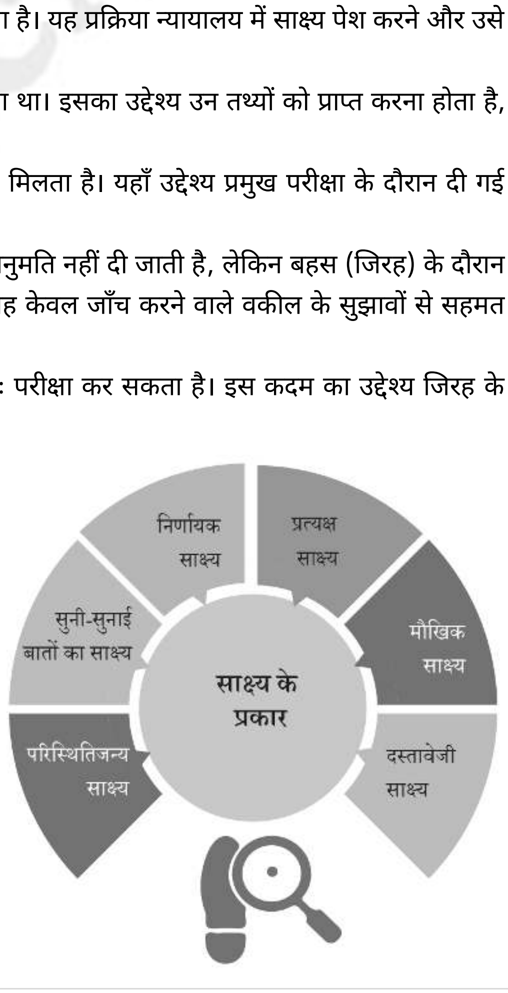

1. **प्रत्यक्ष साक्ष्य -** प्रत्यक्ष साक्ष्य का अर्थ है- वह तथ्य, जो किसी अन्य तथ्य के हस्तक्षेप के बिना मुद्दे में किसी तथ्य के अस्तित्व को सिद्ध करता है।
2. **मौखिक साक्ष्य-** मौखिक साक्ष्य वह साक्ष्य है, जो मुख्य रूप से मौखिक रूप से बोले गए शब्दों के रूप में होता है। इसे किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य के समर्थन के बिना सिद्ध किया जा सकता है, बशर्त कि इसकी विश्वसनीयता हो।
3. **दस्तावेजी साक्ष्य-** दस्तावेजी साक्ष्य वह साक्ष्य है, जो किसी भी सामग्री पर अक्षरों, आँकड़ों या चिह्नों के माध्यम से या मुद्दे को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले एक से अधिक तरीकों से वर्णित या व्यक्त किए गए किसी भी मुद्दे का उल्लेख करता है। इस तरह के साक्ष्य को न्यायालय में विवादित तथ्य को सिद्ध करने के लिए दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

4. **परिस्थितिजन्य साक्ष्य -** परिस्थितिजन्य साक्ष्य किसी गवाह के अन्य संगत तथ्यों के बारे में गवाही है, जिससे मुद्दे में तथ्य का अनुमान लगाया जा सकता है।
5. **सुनी-सुनाई बातों का साक्ष्य-** सुनी-सुनाई बातों के साक्ष्य को व्युत्पन्न या किसी अन्य से प्राप्त साक्ष्य भी कहा जाता है। यह न्यायालय के बाहर दिए गए बयानों के बारे में गवाह की गवाही है, जिसे उनकी अपनी सच्चाई के साक्ष्य के रूप में पेश किया जाता है।
6. **निर्णायक साक्ष्य -** एक प्रकार के साक्ष्य को संदर्भित करता है, जिसे न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर अंतिम और निर्णायक माना जाता है।

प्रश्नोत्तरी

1. **साक्ष्य कानून में विशेषज्ञ किसे माना जाता है?**
   (क) पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील
   (ख) मामले की जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति
   (ग) विदेशी कानून, विज्ञान, कला या अन्य क्षेत्रों में दक्ष व्यक्ति
   (घ) मामले की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश

(उत्तर-ग)

2. **अन्य संगत तथ्यों के लिए गवाह की गवाही किस प्रकार का साक्ष्य है, जिससे मुद्दे में तथ्य का अनुमान लगाया जा सकता है?**
   (क) प्रत्यक्ष साक्ष्य
   (ख) परिस्थितिजन्य साक्ष्य
   (ग) सुनी-सुनाई बातों पर आधारित साक्ष्य
   (घ) मौखिक साक्ष्य

(उत्तर-ख)

3. **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के स्थान पर किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया है?**
   (क) भारतीय न्याय संहिता, 2023
   (ख) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023
   (ग) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
   (घ) भारतीय नागरिक अधिनियम, 2023

(उत्तर-ख)

4. **साक्ष्य कानून में 'द्वितीयक साक्ष्य' शब्द का क्या अर्थ है?**
   (क) विरोधी पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य
   (ख) प्राथमिक साक्ष्य जितना विश्वसनीय नहीं होने वाला साक्ष्य
   (ग) प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में इस्तेमाल किया गया साक्ष्य
   (घ) अवैध तरीकों से प्राप्त साक्ष्य

(उत्तर-ग)

5. **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में प्राथमिक साक्ष्य के दायरे का विस्तार कैसे किया जाता है?**
   (क) हस्तलिखित दस्तावेजों को शामिल करके
   (ख) केवल भौतिक रिकॉर्ड को शामिल करके
   (ग) इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को शामिल करके
   (घ) सभी प्रकार के माध्यमिक साक्ष्य को छोड़कर

(उत्तर-ग)

Springboard ACADEMY